



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252954  
CG-DL-E-13032024-252954

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 169]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

**सा.का.नि. 181(अ).**—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (तीसरा संशोधन) नियम, 2024 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विद्युत नियम, 2005 के, नियम 19 के, उप-नियम (1) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:  
“(क) केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे आदेश में उपबंधित तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग केन्द्रीय पूल गठित कर सकेगी।”

[फा. सं. 23/18/2022-आरएंडआर]

श्रीकांत नागुलापल्ली, अपर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 379 (अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 45 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF POWER****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2024

**G.S.R. 181(E).**—In exercise of the powers conferred by section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Electricity Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Third Amendment) Rules, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Electricity Rules, 2005, in rule 19, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-  
“(a) the Central Government may, by order form distinct central pools for different categories of Renewable Energy Sources for a period of three years from the date provided in such order.

[F. No. 23/18/2022-R&R]

SRIKANT NAGULAPALLI, Addl. Secy.

**Note:** The principal Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 379 (E), dated the 8th June, 2005 and was last amended *vide* G.S.R 45 (E), dated the 17<sup>th</sup> January, 2024.